झारखंड सरकार,
जल संसाधन विभाग,

संoसंo–8 / जoसंo(निo)ग्राo–33 / 10 / राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखंड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री धनुषधारी राय, सहायक अभियंता ने जबकि वे सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, मेहरमा, गोडड्डा के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएत झारखंड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री धनुषधारी राय, सहायक अभियंता के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के अंतर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री धनुषधारी राय, सहायक अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेoनिo, भाoप्रoसेo, विभागीय जांच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जांच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

4. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव / विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः– श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवा निवृत, भाoप्रoसेo, विभागीय जांच पदाधिकारी, टीoएo डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची / प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा / श्री धनुषधारी राय, सहायक अभियंता, दायाँ नहर प्रमंडल संख्या–01, मुसाबनी शिविर गालूडीह को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–.. दिनांक–....................................

प्रतिलिपिः– अुनबंध की प्रति के साथ श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवा निवृत, भाoप्रoसेo, विभागीय जांच पदाधिकारी, टीoएo डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची / प्रखंड विकास पदाधिकारी, मेहरमा / श्री धनुषधारी राय, सहायक अभियंता, दायाँ नहर प्रमंडल संख्या–01, मुसाबनी शिविर गालूडीह को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2. जांच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अंदर सम्पन्न कर अपना जांच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एंव कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।
3. प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जांच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।
4. आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख / कागजात देखना चाहते है तो अद्योहस्ताक्षरी एंव क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख ले और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अंदर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनुoः–यथोक्त्।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 4048 दिनांक– 30-7-15

प्रतिलिपिः– मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची / संयुक्त सचिव (प्र0), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\Dixit\My Documents\2015-16\Nigrani\Sankalp_1.docx